<u>ई–मेल / डाक / आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

कमांकः एफ.3(3)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / 423 जयपुर, दिनांक 12.02.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में पायी गई त्रुटियों एवं भागवार ऑकड़ों की सीडी भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर मतदाता सूचियों में कम्प्यूटर के माध्यम से पायी गई त्रुटियों एवं मतदाता सूची के ऑकड़ों के आधार पर विधानसभा क्षेत्रवार / भागवार सांख्यिकी सूचना तैयार की है, जिसकी एक डी.वी.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. विभाग द्वारा उक्त सूचना जिलेवार डी.वी.डी. में उपलब्ध कराई जा रही है। इस डी.वी.डी. में विधानसभा क्षेत्रवार फोल्डर बने हुए है तथा प्रत्येक फोल्डर में उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक भाग की **''फोटोयुक्त मतदाता सूची –2013 A में त्रुटियों की भागवार सूची''** की एक फाईल व दूसरी फाईल में विधानसभा क्षेत्रवार / भागवार 37 कॉलमों में सांख्यिकी ऑकड़े प्रस्तुत किए गए है, जिसमें प्रत्येक भाग का लिगांनुपात, फोटों पहचान पत्र धारित मतदाताओं की संख्या व प्रतिशत, फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटोयुक्त मतदाताओं की संख्या व प्रतिशत पुनरीक्षरण कार्यकम के दौरान जोड़े गये, विलोपित किये गये मतदाताओं की संख्या व विभिन्न आयु वर्ग में महिला एवं पुरूष मतदाताओं की संख्या की सूचना एक्सल शीट (EXCEL SHEET) में उपलब्ध कराई गई है, जिसके उपयोग के विषय में कार्यवाही आगे के पैरा में दिये गये निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तर पर की जानी है।

3. जिलेवार उपलब्ध कराई गई डी.वी.डी. की प्रथम फाईल में जैसा कि पैरा 2 में उल्लेखित किया है में भागवार चिन्हित की गयी विभिन्न त्रुटियों के आधार पर सूची तैयार की गई है, जिसका जिला स्तर पर भागवार प्रिन्ट लिया जायेगा। इस सूची में इस प्रकार की अशुद्धियॉ सम्मिलित है जिसमें मतदाता का मकान नम्बर अंकित नहीं है, मतदाता का लिंग गलत अंकित किया गया है, मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम अंकित की गयी है, मतदाता की आयु 95 वर्ष से अधिक होने पर भी सूची में सम्मिलित किया गया है ताकि ऐसे मतदाताओं का सत्यापन किया जा सकें। इस प्रकार की सभी अशुद्धियॉ बॉक्स में दर्शाई गई है, जिनको शुद्ध किया जाना है। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

3.1 जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुविधानुसार विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई डी.वी.डी. में संबंधित फाईल के आधार पर विधानसभा क्षेत्रवार एवं भागवार मतदाता सूचियों में त्रुटियों की सूचियों का मुद्रण करायेगें तथा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ को उपलब्ध करायेगें।

3.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त भागवार सूची को संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करायेगें, इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर बीएलओ की एक बैठक आयोजित कर सूची उपलब्ध करावे तथा इस बैठक के दौरान उन्हें इस कार्य को संपादित करने हेतु लघु प्रशिक्षण भी दिया जाए।

3.3 बीएलओ उनको उपलब्ध कराई गई सूची व दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर इसका मिलान करेगें तथा

ऐसी अशुद्धियॉ जिनको टेबिल पर बैठकर ठीक किया जा सकता है को संशोधित करेगें।

3.4 कुछ अशुद्धियॉ ऐसी है जिनको कि संबंधित मतदाता के घर जाकर सत्यापित करना होगा उनमे ऐसे मतदाता जिनकी आयु 95 वर्ष से अधिक है का घर जाकर सत्यापन किया जाना है यदि वह मतदाता घर पर उपस्थित मिलता है तो सूची में उनके नाम के आगे √ कर ''सत्यापित किया गया'' अंकित किया जायेगा।

3.5 कम्प्यूटर के डेटाबेस के आधार पर कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे मतदाता के नाम भी चिन्हित किये गये है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। इस प्रकार की त्रुटियों के विषय में आयु का सत्यापन फार्म 6 के आधार पर किया जायेगा यदि फार्म 6 में आयु सही अंकित है अर्थात् 01 जनवरी, 2013 को मतदाता 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का है तो उसे तद्नुसार ठीक किया जायेगा। यदि फार्म 6 के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि मतदाता कम आयु का है तो 18 वर्ष की आयु से कम आयु का मतदाता हाने पर उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त कार्य 28 फरवरी, 2013 के बाद प्रारम्भ करेगें। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग के फील्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा ऐसी महिलाओं का चिन्हिकरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि मतदाता बनने के लिए पात्र है किन्तु उनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है। उक्त सूचियॉ इन विभाग के ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा विभाग के निर्देशानुसार इस सूची के आधार पर बीएलओ घर–घर जाकर मतदाता सूची में इस प्रकार की पात्र महिलाओं का पंजीकरण करने हेतु फार्म 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करेगें। इसी समय उपरोक्त कार्यवाही भी उनके द्वारा की जायेगी।

5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त कार्यवाही के बाद बीएलओ को 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध करायेगें जिसके आधार पर इस कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा मृत एवं स्थानांतरित मतदाता चिन्हित कर उनकी सूची भी तैयार की जायेगी। सूची का प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** के अनुसार है।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस कार्यवाही के दौरान बीएलओ के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई गयी अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची के आधार पर यह भी चिन्हित करेगे कि उनके भाग में दोहरी प्रविष्टि तो नहीं है, किसी मतदाता का फोटो गलत मुद्रित तो नहीं है या मतदाता सूची में ऐसा फोटो मुद्रित तो नहीं है जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी सूची पृथक से तैयार की जाएगी।

7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस कार्य का पर्यवेक्षण स्वयं अपने स्तर पर एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से करायेगें। यह कार्य गंभीरता पूर्वक करवाया जाना है यदि पर्यवेक्षक के रूप में अधिक अधिकारी नियुक्त किये जाने है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्नुसार समुचित संख्या में पर्यवेक्षक नियुक्त करेगें जिससे कि बीएलओ द्वारा किये गये कार्यो का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा सके।

8. बीएलओ द्वारा उक्त कार्य अवकाश के दिनो में या कार्यालय समय के पश्चात् किया जायेगा तथा यह कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाए। बीएलओ द्वारा ''**फोटोयुक्त मतदाता सूची –2013 A में त्रुटियों की भागवार सूची**'' में चिन्हित की गई त्रुटियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण तद्नुसार निर्णय कर निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया की दौरान तैयार होने वाली पूरक सूचियों के अन्तर्गत संशोधनों/विलोपन की पूरक सूचियों का रजिस्टर संधारित कर तैयार करेगें। बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत्त एवं

दोहरी प्रविष्टियों के दोनो मतदाताओं की सूचियॉ पृथक से टंकित करवाकर तैयार रखी जाएगी जिसके उपयोग के विषय में निर्देश बाद में दिए जाए

9. विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सीडी के दूसरी फाईल में अन्तिम रूप से मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न ऑकड़ों का अपने स्तर पर सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तथा उक्त कार्यवाही के दौरान मतदाता सूची में सुधारात्मक कार्यवाही करें, जैसे कि यदि किसी मतदान केन्द्र का लिगांनुपात कम है तो इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार से 18–19 आयु वर्ग के यदि पात्र नवयुवक मतदाता सूची में पंजीकृत होने से रह गये है तो उनको भी चिन्हित कर फार्म 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाए, यदि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का फोटो मुद्रित नहीं हो तो उससे फोटो प्राप्त की जाए। इसके साथ–साथ जिन मतदाताओं को मतदात फोटो पहचान पत्र जारी हो गये है किन्तु फोटो मुद्रित नहीं है उनसे भी फोटो प्राप्त की जाए जिससे कि उक्त दोनो बिन्दुओं पर शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकें।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस कार्य को गंभीरता पूर्वक संपादित करायेगें, क्योंकि इस वर्ष विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न होगें इसलिए यह प्रयास किये जाए कि विधानसभा आम चुनाव से पूर्व शुद्ध, सही एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : एक डी.वी.डी.।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2012/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।